न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/51 **दायरा दिनांक : 28.03.2023**

उनवान

1. श्रीमति शांतिबाई आयु 52 वर्ष पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी हाल निवासी पठारी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
2. मंजू बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.) हाल पत्नी श्री बालकिशन गुसाई, निवासी अन्ता, तहसील अंता, जिला बारां (राज.)
3. सुआलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति किराड़, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
4. गायत्री बाई आयु 66 वर्ष पत्नी श्री बुद्धिप्रकाश जाति तमौली, निवासी शाहबाद, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
5. सुमनलता पत्नी श्री अशोक कुमार, जाति महाजन, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
   5/1–दीपक आयु 24 वर्ष पुत्र श्री अशोक कुमार, जाति महाजन, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.)
6. विशाखा गर्ग आयु 38 पत्नी श्री रोहित गर्ग जाति महाजन, निवासी ए–737 इन्द्र बिहार ब्लॉक ए वार्ड नंबर 39 कोटा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा (राज.)
7. सरजो बाई आयु 58 वर्ष पत्नी श्री रमेशचंद जाति किराड़, निवासी भोयल तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
8. ओमप्रकाश आयु 47 वर्ष पुत्र श्री चंपालाल जाति किराड़, निवासी देवरी तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
9. संजय आयु 42 वर्ष पुत्र श्री चंपालाल जाति किराड़, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री रामचन्दर जी लक्षमन जी बिराजमान ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जर्ये वादमित्र हरिओम उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री छीतरमल जाति महाजन निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.)
2. सीताराम पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
3. मोहन प्रसाद पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)
4. कमला बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.) हाल पत्नी श्री हरिचरण गुसाई निवासी पोहरी, जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

5. बसन्ती पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) हाल पत्नी श्री जगदीश गुसाई, निवासी बडौद, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
6. दांखा बाई बेवा कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राज.)
7. विशाल पुत्र श्रीलाल गुसाई निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) नाबालिग जर्ये वली माता सरोज बेवा श्रीलाल निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. चन्दा पुत्री श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.) हाल पत्नी श्री नरेश गोस्वामी, मुन्ना टेलर्स के पास सकतपुरा कोटा (राज.)
9. प्रिया पुत्री श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. प्रतिभा उर्फ पिंकी पुत्री श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. सरोज बेवा श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बाराँ (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
12. राजस्थार सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बाराँ (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 7, 10 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 07.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 01/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देवरी तहसील–शाहाबाद में पुराने बाजार में मूर्ति मंदिर रामचन्दर जी लक्षमन जी स्थित है जो आम हिन्दूजन के आस्था एवं पूजा अर्चना का पवित्र धार्मिक स्थल है इस मूर्ति मंदिर श्री रामचन्दर जी लछमन जी के खाते में ग्राम देवरी, तहसील शाहाबाद में संवत 2008 से 2011 में खसरा नंबर– 379 रकबा 10

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर– 381 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर– 1014 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर– 1046 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर– 1047 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर– 1048 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नंबर 1049 रकबा 12 बिस्वा तथा खसरा नंबर–1052 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि रही है, इस मंदिर के पुजारी लछमन पुत्र श्री हीरालाल जाति– गुसाई, निवासी– देवरी रहे, सेटलमेंट के दौरान यह भूमि अवैधानिक तौर पर पुजारी लछमन के पुत्र कन्हैयालाल ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली, सेटलमेंट के बाद इस भूमि की सेटलमेंट विभाग ने जो जमाबंदी संवत् 2020 से 2039 जारी की, उसमें आराजीयात के नये नंबर इस प्रकार से बनाये खसरा नंबर–455 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नंबर 457 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नंबर–470 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नंबर 1605 रकबा 5.06 बीघा, खसरा नंबर–1608 रकबा 2. 15 बीघा, खसरा नंबर 1613 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नंबर–1614 रकबा 3.06 बीघा, खसरा नंबर 1615 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर–1616 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 1617 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 1619/1764 रकबा 2.17 बीघा कुल 1618 रकबा 1.08 बीघा, किता 12 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा तहसील– शाहाबाद में सेटलमेंट के दौरान खसरा नंबर– मिलान नहीं बनाया गया है ना ही जिला रिकार्ड रूम में सेटलमेंट से पूर्व का ग्राम देवरी का नक्शा उपलब्ध है, लेकिन सेंटलमेंट से पूर्व ग्राम देवरी में लक्षमन पुत्र हीरालाल गुसाई या उसके पुत्र कन्हैयालाल के नाम से 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कोई खाता नहीं रहा है तथा ग्राम देवरी के सेटलमेंट के बाद जो सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2020 से 2039 जारी की गई है, उसमें वादी के नाम का कोई खाता नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम देवरी तहसील–शाहाबाद में पुराने बाजार मे वादी/रेस्पो. क्रम– 01 मूर्ति मंदिर श्री रामचन्दर जी लक्षमन जी स्थित है, जिसकी ओर से जर्ये वादमित्र हरिओम ने एक वाद अपीलांट/प्रतिवादीगण, रेस्पो. क्रम– 02 ता 12 के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मूर्ति मंदिर जो आम हिंदूजन की आस्था एवं पूजा अर्चना का पवित्र स्थल है। इस मूर्ति मंदिर रामचन्दर जी लक्षमन जी के खाते में ग्राम देवरी, तहसील– शाहाबाद में संवत् 2008 से 2011 में कुल किता 8 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि रही है, इस मंदिर के पुजारी लछमन पुत्र श्री हीरालाल जाति– गुसाई, निवासी– देवरी रहे, सेटलमेंट के दौरान यह भूमि अवैधानिक तौर पर पुजारी लछमन के पुत्र कन्हैयालाल ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली, सेटलमेंट के बाद इस भूमि की सेटलमेंट विभाग ने जो जमाबंदी संवत् 2020 से 2039 जारी की, उसमें आराजीयात के नये नंबर इस प्रकार से बनाये कुल किता 12 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा तहसील– शाहाबाद में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सेटलमेंट के दौरान खसरा नंबर– मिलान नहीं बनाया गया है ना ही जिला रिकार्ड रूम में सेटलमेंट से पूर्व का ग्राम देवरी का नक्शा उपलब्ध है, लेकिन सेंटलमेंट से पूर्व ग्राम देवरी में लक्षमन पुत्र हीरालाल गुसाई या उसके पुत्र कन्हैयालाल के नाम से 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कोई खाता नहीं रहा है तथा ग्राम देवरी के सेटलमेंट के बाद जो सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2020 से 2039 जारी की गई है, उसमें वादी के नाम का कोई खाता नहीं बनाया गया। कन्हैयालाल का विवादित आराजीयात में कोई हक या अधिकार नहीं रहा है, ना ही सेटलमेंट के दौरान राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित भूमि में से खसरा नंबर 457, 470 की भूमि प्रतिवादी क्रम 13 व उसके भाई कल्याण को विक्रय कर दी जिसका नामांतरकरण संख्या 503 खोला गया, जिसका अमल 19.04.1983 को तहसीलदार शाहबाद ने यह लिखकर रोक दिया था कि उक्त खाता मंदिर श्री रामजानकी का था पुजारी ने गलत तौर पर अपने खाते बंधवाकर जमीन बेची है। इसके बाद प्रतिवादी क्रम 13 ने 1993 में पटवारी हल्का से सांठ–गांठ कर अवैध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण नंबर 827 से उक्त दोनों खसरा नंबर की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। पुजारी कन्हैयालाल की मृत्यु उपरांत उनके स्थान पर प्रतिवादी क्रम 01 ता 07 तथा श्रीलाल राधेश्याम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गए, इनमें से श्रीलाल की मृत्यु हो जाने से श्रीलाल के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 08 ता 12 के नाम रिकार्ड में दर्ज कर दिये, वर्तमान में राधेश्याम भी कुंवारा लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसका इंतकाल अभी दर्ज नहीं हुआ है, प्रतिवादी क्रम 07 उसकी माँ होकर एकमात्र वैधानिक वारिस है प्रतिवादी क्रम 08 नाबालिग है, जिनकी वली माता प्रतिवादी क्रम 12 रिकार्ड में दर्ज है तथा उसी के संरक्षण में पल–बढ़ रहे हैं, उनके हित एक–दूसरे के विपरीत नहीं है इस कारण प्रतिवादी क्रम 12 को उनका वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी तरह खसरा नंबर– 457, 470 के क्रेताओं में से कल्याण लाऔलाद कुंवारा फौत हो जाने के कारण उसका हिस्सा उसके भाई सहखातेदार सुआलाल प्रतिवादी क्रम 13 के नाम दर्ज कर दिया है। सुआलाल ने खसरा नंबर 470 रकबा 5.18 बीघा में से 16 बिस्वा भूमि एन.एच. 76 में अवाप्त होने के बाद 2.10 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 14 गायत्री बाई को विक्रय कर दी तथा 1.00 बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 17 सरजो बाई को व 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 16 विशाखा गर्ग को विक्रय कर दी शेष 2 बिस्वा भूमि आज भी प्रतिवादी क्रम 13 के नाम दर्ज है, इसी तरह से सुआलाल प्रतिवादी क्रम 13 ने खसरा नंबर 457 रकबा 4.14 बीघा में से 1.07 बीघा भूमि एन.एच. में अवाप्त हो जाने के बाद 3.07 बीघा में से 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 15 सुमनलता को तथा 2.10 बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 16 विशाखा गर्ग को विक्रय कर दी, इसके उपरांत खसरा नंबर 455 रकबा 4.09 बीघा में से 13 बिस्वा भूमि एच.एच. 76 के निर्माण हेतु अवाप्त होने के बाद शेष बची 3.15 बीघा में से प्रतिवादी क्रम 3 ता 6 एवं मृतक राधेश्याम ने 5/9 हिस्सा करीबन 2.02

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 18 ओमप्रकाश व प्रतिवादी 19 संजय को विक्रय कर दी। विवादित भूमि में से खसरा नंबर 457 रकबा 4.14 बीघा में से 1.07 बीघा, खसरा नंबर 470 रकबा 5.18 बीघा में से 16 बिस्वा, खसरा नंबर 455 रकबा 4.09 बीघा में से 13 बिस्वा कुल 2.16 बीघा भूमि एन.एच. 76 निर्माण हेतु अवाप्त कर ली गयी है, जिसका मुआवजा भी प्रतिवादीगण ने अवैधानिक तौर पर ले लिया है। इस तरह विवादित अराजी 33.18 बीघा में से 2.16 बीघा भूमि हाईवे में अवाप्त होने के बाद शेष 31.02 बीघा भूमि वादी की है, जिसे प्रतिवादी 1 ता 19 ने अपने खाते दर्ज करा रखी है, जिस पर वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा अपने नाम दर्ज कराने का हकदार है। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये समस्त अन्तरण अवैध व प्रभावशून्य है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है, जिसकी भूमि को विक्रय करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कन्हैयालाल ने उक्त भूमि को विक्रय किया है और यही काम उसके पुत्र–पुत्रियों ने चालू कर दिया है। हरिओम गुप्ता ग्राम देवरी का निवासी होकर वादी मंदिर मूर्ति के प्रति पूर्वजों की तरह श्रद्धा भाव रखता है, मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की भूमि को बेचकर निंदनीय कार्य किया है, ऐसी दशा में हरिओम गुप्ता के द्वारा मंदिर मूर्ति के हित में वाद पेश किया है, इत्यादि।

यह कि प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की थी :–

1–आया विवादित भूमि मूर्ति मंदिर श्री रामचन्दर जी लछमन जी विराजमान देवरी के खाते की रही है, जिसका नाम दौराने सेटलमेंट बिना किसी सक्षम न्यायालय के हटाकर पुजारी कन्हैयालाल के नाम दर्ज कर दिया गया ? ... बजिम्मे वादी

2–आया विवादित भूमि मूर्ति मंदिर के खाते की होने से पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती? ... बजिम्मे वादी

3–आया विवादित भूमि में से मूर्ति मंदिर के पुजारी एवं उसके वारिसान द्वारा प्रतिवादी क्रम– 13 ता 19 को विक्रय कर अन्तरित कर दी गई है, यह अन्तरण अवैध होकर मूर्ति मंदिर के प्रति अप्रभावी है, जिन्हें बेदखल कर मूर्ति मंदिर को दिलाया जाना उचित होगा? .....बजिम्मे वादी

4–आया हरिओम गुप्ता को मूर्ति मंदिर की ओर से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है? .....बजिम्मे प्रतिवादी

5– आया माफी रिज्यूम होने के समय लक्ष्मण पुत्र कन्हैयालाल का कब्जा होने से वह खातेदार हो गये है? .... बजिम्मे प्रतिवादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी क्षेत्र

पक्षकारान की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकी नंबर 1, तनकी नंबर 2, तनकी नंबर 3 वादी के पक्ष में एवं तनकी नंबर 4 व 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित कर, वाद स्वीकार कर वादी/रेस्पो. क्रम 01 को खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादीगण को बेदखल करने का निर्णय प्रदान किया है। निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनाँक 20.10.2022 खिलाफ कानून पत्रावली में पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून के मान्यता प्राप्त सिद्धातों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 01 व 02 के निर्णय की विवेचना में वादी के कथन सेटलमेंट के दौरान खसरा मिलना नहीं बनाया गया है और ना ही जिला रिकार्ड रूम में सेटलमेंट से पूर्व का ग्राम देवरी का नक्शा मौजूद है, के आधार पर सेटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श 5 में दर्ज भूमि वही भूमि है, जो सेटलमेंट से पूर्व की प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 6 में माफी मंदिर के नाम दर्ज रही है, के आधार पर कब्जाधारी की हैसियत से अपीलार्थीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज होना, उन्हें अधिकार प्राप्त न होना गलत तौर पर माना है। अपीलार्थीगण का कब्जा अवैध, बेदखली योग्य होना मानकर त्रुटि की है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। तनकी नंबर 3 में कथित विक्रय पत्रों का अवैध व प्रभाव शून्य माना है, जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसी आधार पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होना तय कर वादी के हक में तनकी निर्णित कर त्रुटि की है। तनकी नंबर 4 में हरिओम गुप्ता मूर्ति मंदिर की ओर से वाद प्रस्तुत करने के अधिकार के संदर्भ में है, जिसकी कोई पालना वादी/रेस्पो. द्वारा आदेश 32 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की नहीं की गयी है और न न्यायालय से कोई वादमित्र नियुक्ति की अनुमति प्राप्त की है। कयास के आधार पर मूर्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है। तनकी वादी/रेस्पो. के पक्ष में निर्णित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 5 प्रदर्श 5 व 6 में दर्ज भूमि एक ही होने, लक्ष्मन का कब्जाधारी की हैसियत से कब्जा होना तथा माफी रिज्यूम नहीं हो सकना, रिकार्ड में रिज्यूम का कोई नोट अंकित न होने के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित कर त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 20.10.2022 अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा जर्ये वादमित्र पेश हुआ है। मंदिर की ओर से वादमित्र कैसे है स्पष्ट नहीं किया है जबकि पुजारी मंदिर का संरक्षक है। 33.18 बीघा आराजी का दावा है। वादी रेस्पोडेंट का कथन है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कि सैटलमेंट से पूर्व आराजी अपीलांट के नाम दर्ज रही हो इसका कोई साक्ष्य नहीं है। जमाबंदी संवत 2008–2011 से वादग्रस्त आराजी मंदिर के नाम से माफी से लक्षमण के नाम आयी। रेस्पोडेंट को कथन है कि 2020 से 2029 की जमाबंदी से पूर्व कोई आराजी दर्ज नहीं है परन्तु संवत 2008 से 2011 में ही दर्ज हो गई थी। मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं हुआ फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अंदाजे से ही मान लिया। सेलडीड को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। माफी रिज्यूम होने से लक्षमण खातेदार हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि मंदिर की आराजी थी, पुजारी को खातेदारी दी, बाद में समाप्त की। मंदिर के खाते दर्ज कर बेदखल किया उसके विरूद्ध अपील की है। पुजारी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं मिल सकती। पुजारी मंदिर का प्रतिनिधि होता है। वादग्रस्त आराजी दौराने सैटलमेंट अपने नाम करवा ली थी जो गलत है। अपने पक्ष के समर्थन में आर. एल.डब्ल्यू. 2015 (2) पेज 705 एवं सेक्टशन 23 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, आर.बी.जे. 2010 पेज 705 की नजीर उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2008 से 2011 प्रदर्श पी–6 के अनुसार खसरा नं. 379, 381, 1014, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052 कुल किता 8 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री रामचन्दर जी लछमन जी के खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल भू प्रबन्ध विभाग जमाबंदी संवत 2020 से 2039 प्रदर्श पी–5 के अनुसार खसरा नं. 455, 457, 470, 1605, 1608, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619/1764 कुल किता 12 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा आराजी कन्हैयालाल वल्द लछमन कोम गुसाई सा0 देह के खाते दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। मिलान क्षेत्रफल के विषय में वादी का कथन है कि तहसील शाहबाद में सेटलमेंट के दौराने खसरा मिलान नहीं बनाया गया है, ना ही जिला रिकार्ड रूम में सेटलमेंट से पूर्व का ग्राम देवरी का नक्शा उपलब्ध है। सेटलमेंट से पूर्व ग्राम देवरी में लक्षमन पुत्र हीरालाल गुसाई या उसके पुत्र कन्हैयालाल के नाम से 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कोई खाता नहीं रहा है तथा ग्राम देवरी के सेटलमेंट के बाद जो सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2020 से 2039 जारी की गई उसमें वादी के नाम का कोई खाता नहीं बनाया गया है, जिससे साबित है कि सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2020 से 2039 में दर्ज भूमि वही भूमि है, जो सेटलमेंट के पूर्व की प्रस्तुत जमाबंदी 2008 से 2011 में माफी मंदिर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

श्री रामचन्दर जी लछमन जी के नाम दर्ज रही है। वादी के इस कथन को गलत साबित करने के लिए अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2020 से 2039 से पूर्व विवादित आराजी अपीलांट के खाते दर्ज रही हो। विवादित आराजी के संबंध में सेटलमेंट पूर्व की जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जो प्रदर्श पी–6 है, जो संवत 2008 से 2011 की है जिसमें विवादित आराजी माफी मंदिर रामचन्दर जी लछमन जी के खाते दर्ज है। प्रदर्श पी–5 व पी–6 दोनों जमाबंदियों में दर्ज विवादित भूमि का रकबा समान है। किसी सक्षम अधिकारी/न्यायालय के आदेश के बिना दौराने सेटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग को माफी मंदिर श्री रामचन्दर जी लछमन जी के खाते की आराजी किसी व्यक्ति विशेष के खाते दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण सैटलमेंट जमाबंदी संवत 2020 से 2039 में बकृषक कन्हैयालाल वल्द लछमन के नाम से किया गया इन्द्राज विधि विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं है। नकल जमाबंदी प्रदर्श पी–6 के अनुसार विवादित आराजी माफी मंदिर श्री रामचन्द्र जी लछमन जी के खाते दर्ज रही है, जिस पर लछमन बेटा हीरालाल जाति गुसाई का नाम कब्जाधारी की हैसियत से दर्ज है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिक होने से माफी मंदिर के खाते की आराजी पर उसके पुजारी/सेवायत को कोई हक/अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विधिक अधिकार के अभाव में कन्हैयालाल व उनके वारिसान द्वारा प्रतिवादी 13 लगायत 19 के पक्ष में किया गया विक्रय प्रारम्भ से ही वोईड होने के कारण प्रभावशून्य है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिक होने के कारण उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है । इसी आधार पर तनकी नं. 4 अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित की है, तनकी नं. 4 का निर्णय मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षा हेतु विधि सम्मत प्रतीत होता है। मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. श्रीमति शांतिबाई आयु 52 वर्ष पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी हाल निवासी पठारी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)
2. मंजू बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.) हाल पत्नी श्री बालकिशन गुसाई, निवासी अन्ता, तहसील अंता, जिला बारां (राज.)
3. सुआलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति किराड़, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)
4. गायत्री बाई आयु 66 वर्ष पत्नी श्री बुद्धिप्रकाश जाति तमौली, निवासी शाहबाद, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)
5. सुमनलता पत्नी श्री अशोक कुमार, जाति महाजन, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.) 5/1–दीपक आयु 24 वर्ष पुत्र श्री अशोक कुमार, जाति महाजन, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.)
6. विशाखा गर्ग आयु 38 पत्नी श्री रोहित गर्ग जाति महाजन, निवासी ए–737 इन्द्र बिहार ब्लॉक ए वार्ड नंबर 39 कोटा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा (राज.)
7. सरजो बाई आयु 58 वर्ष पत्नी श्री रमेशचंद जाति किराड़, निवासी भोयल तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)
8. ओमप्रकाश आयु 47 वर्ष पुत्र श्री चंपालाल जाति किराड़, निवासी देवरी तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)
9. संजय आयु 42 वर्ष पुत्र श्री चंपालाल जाति किराड़, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. गूर्ति मंदिर श्री रामचन्दर जी लक्षमन जी बिराजमान ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जर्ये वादमित्र हरिओम उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री छीतरमल जाति महाजन निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.)
2. सीताराम पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)
3. मोहन प्रसाद पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)
4. कमला बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.) हाल पत्नी श्री हरिचरण गुसाई निवासी पोहरी, जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
5. वसन्ती पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) हाल पत्नी श्री जगदीश गुसाई, निवासी बडौद, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
6. दांखा बाई बेवा कन्हैयालाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद जिला बारॉं (राज.)
7. विशाल पुत्र श्रीलाल गुसाई निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) नाबालिग जर्ये वली माता सरोज बेवा श्रीलाल निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. चन्दा पुत्री श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज.) हाल पत्नी श्री नरेश गोस्वामी, मुन्ना टेलर्स के पास सकतपुरा कोटा (राज.)
9. प्रिया पुत्री श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. प्रतिभा उर्फ पिंकी पुत्री श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. सरोज बेवा श्रीलाल जाति गुसाई, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारॉं (राज.) हाल निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
12. राजस्थार सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारॉं (राज.)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/51**
मु.द.नं0 **01/2013**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी शाहबाद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **20.10.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 08 माह 10 सन् 2025

उपस्थित श्री **महेश प्रकाश गौतम** अभिभाषक अपीलाट की ओर से, श्री **हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, श्री **ओम भारद्वाज** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 7, 10 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण **अनुपस्थित**।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 07 माह 11 सन् 2025 को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)